10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

69

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
III / निगरानी / श्योपुर / भू-रा / 2017 / 1853

प्र0क0 R .... 11 / 17

श्रीमती कम्मो पत्नी स्व0 मुरली जाति आदिवासी निवासी ग्राम चक सीताराम स्यारदा तह0 वीरपुर जिला श्योपुर

..........................आवेदक

श्री ...श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि.....21/6/17...को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1--भैरोलाल पुत्र देवीराम जाति राठौर निवासी ग्राम स्यारदा तह0 वीरपुर जिला श्योपुर

2--तहसीलदार महोदय वीरपुर तह0 वीरपुर जिला श्योपुर

3--राजस्व निरीक्षक वृत वीरपुर

4--मौजा पटवारी हल्का नं0 12 ग्राम पांचो तह0 वीरपुर जिला श्योपुर म0प्र0

.......................अनावेदक

21/6/17

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28/03/2017 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग जिला मुरैना के प्र0क0 25/15-16 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है --

1-- यह कि ग्राम पांचो तह0 वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 1063 के अपीलान्ट कम्मो, रेस्पो0 भैरोलाल, कमरलाल माखन, छत्तू नरेश कैलाशी मुल्ला एवं बद्री लखुआ शासकीय भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2-- यह कि आवेदक द्वारा मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने पर मानवाधिकार आयोग द्वारा तहसीलदार महोदय वीरपुर को जारी पत्र पर से बटांकन का प्रकरण प्र0क0 7/14-15×अ/3 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 01/05/2015 द्वारा बटांकन स्वीकार किया गया।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / श्योपुर / भूरा / 2017 / 1843

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10-11-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 शर्मा उपस्थित। पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना 290 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.7.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण तरमीम बटांकन का है। अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं का विवरण अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा अपने आदेश में दिया गया है। अधीनथ न्यसायालयों ने प्राकृतिक न्याय को मदद् नजर रखते हुये विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की है खसतौर से तहसीलदार विजयपुर ने एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त वीरपुर तथा पटवारी हल्का नंबर 22 पंचों के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये बिना पक्षकारों को कोई सुनवाई का मौका दिये बटांकन स्वीकृत	

कर राजस्व निरीक्षक को लालस्याही से नक्शे में तरमीम करने का जो आदेश दिया है वह पूर्ण अवैध है और गैर कानूनी था जो अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका आदेश विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 290 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.7.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य